भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 186

सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947, (शक)

तमिलनाडु में पीएम-एसवाईएम

186. डॉ. रानी श्रीकुमारः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने तेनकाशी में महत्वपूर्ण असंगठित कार्यबल होने के बावजूद पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत कम नामांकन के कारणों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पीएम-एसवाईएम का अटल पेंशन योजना में विलय करने अथवा इसे ई-श्रम डेटाबेस के साथ एकीकृत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की उन कामगारों के लिए अंशदान पर राजसहायता देने की योजना है जो भुगतान करने में असमर्थ हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पीएम-एसवाईएम नामांकन में सुधार लाने के लिए तमिलनाडु विशेषकर तेनकाशी में शुरू की गई जागरूकता संबंधी पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में नामांकित लाभार्थियों की संख्या 69,490 हैं (दिनांक 10.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार), और जिला-वार नामांकन अनुबंध में दिया गया है।

(ख): पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत कम नामांकन के कारण निम्नलिखित हैं:

(i) यह एक अंशदायी योजना है, इसलिए इसमें लाभार्थियों द्वारा दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

(ii) लाभार्थियों को जागरूक बनाने, समझाने और जुटाने का कार्य राज्य सरकार या सीएससी मशीनरी के माध्यम से किया जाना होता है।

जारी..2/-

(iii) असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पास रोजगार के अस्थायी अवसर होते हैं।

(iv) कई राज्य लाभार्थी से कोई योगदान लिए बिना पात्र आयु वर्ग को पेंशन देते हैं।

(ग): वर्तमान में इस योजना को अटल पेंशन योजना के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पीएम-एसवाईएम योजना पहले से ही ई-श्रम डेटाबेस के साथ एकीकृत है।

(घ): सरकार इस योजना के अंतर्गत आवश्यक अंशदान के लिए 50% सब्सिडी का भुगतान करती है।

(ङ): तमिलनाडु सहित देश में इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठक आयोजित करना।

(ii) सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) को पीएम-एसवाईएम में नामांकित प्रत्येक पात्र व्यक्ति पर प्रोत्साहन राशि दिया जाता है।

(iii) नई सुविधाओं का शुभारंभ: स्वैच्छिक निकास, रिवाइवल मॉड्यूल, दावा स्थिति और खाता विवरण।

(iv) निष्क्रिय खातों के रिवाइवल की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया।

(v) पीएम-एसवाईएम और ई-श्रम का दो-तरफ़ा एकीकरण।

(vi) जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान।

(vii) पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकन के संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों को संबोधित करना।

*

दिनांक 21.7.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 186 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

तमिलनाडु राज्य में लाभार्थियों की जिलावार संख्या (दिनांक 10.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	जिला	पंजीकरण
1	पुदुक्कोट्टई	3633
2	वेल्लोर	3476
3	तिरुवारुर	3298
4	कडलोर	3099
5	विल्लुपुरम	2789
6	इरोड	2771
7	तूतीकोरिन	2736
8	कृष्णागिरि	2587
9	कोयंबटूर	2486
10	विरुधुनगर	2448
11	तिरुचिरापल्ली	2409
12	कन्याकुमारी	2345
13	डिंडीगुल	2177
14	धर्मपुरी	2166
15	सेलम	2155
16	तिरुनेलवेली	2146
17	तिरुवन्नामलाई	2061
18	रामनाथपुरम	1999
19	मदुरै	1919
20	कांचीपुरम	1877
21	तेनी	1741
22	तंजावूर	1696
23	तिरुपूर	1637
24	तिरुवल्लूर	1626
25	चेन्नई	1579
26	चेंगलपट्टू	1575
27	नागपट्टिनम	1559
28	नामक्कल	1451
29	अरियालूर	1328
30	करूर	1173
31	पेरम्बलूर	1070
32	शिवगंगा	941
33	नीलगिरि	850
34	रानीपेट	251
35	तेनकासी	188
36	कल्लाकुरिची	101
37	तिरुपथुर	95
38	मईलाडुदुरई	52
	कुल	**69490**

डेटा स्रोत: सीएससी

******